





कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेरघाटी

Email ID - ee.rwd.sherghati@gmail.com

Mob. No 8986915324

पत्रांक :- 1480 अनु०  
प्रेषक,

/शेरघाटी, दिनांक :- 19.11.2025

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमण्डल, शेरघाटी।

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव  
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

विषय:- PMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या- 08/SBD//2019-20 पथ Construction of road from L023 to Doctor Bigha में जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु संवेदक द्वारा दावा विपत्र की स्वीकृति हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- आर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-RWD /GST Claim/2025-26/2334- 5346 अनु० दिनांक:- 03.11.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया के पत्रांक:-2317 अनु० दिनांक:-17.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि PMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या- 08/SBD//2019-20 पथ Construction of road from L023 to Doctor Bigha में VAT/GST में अंतर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु रु. 130695.00 (एक लाख तीस हजार छ सौ पंचानवे रुपये) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

*[Signature]*  
19.11.25

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेरघाटी।

*[Signature]*  
19/11/2025

*[Signature]*  
19/11/25

*[Signature]*

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

Email ID- segayacircle@gmail.com WhatsAppNo- 8986915208

पत्रांक:- 2317 अनु0

गया/दिनांक :- 17/11/2025

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य अंचल, गया।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, शेरघाटी।

विषय:- शीर्ष PMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-08/SBD/2019-20 पथ- Construction of Road L023 to Doctor Bigha में जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-RWD/GST CLAIM/2025-26/2334-5346 अनु0 दिनांक-03.11.2025

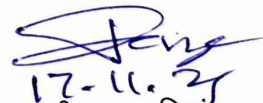
महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित कार्य में जी0एस0टी0 की राशि की प्रतिपूर्ति जो जाँचोपरान्त रु-1,30,695/-रूपये मात्र होती है, के भुगतान हेतु संवेदक राणा चंदन को निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अंतर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया तो सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले विपत्र/अग्रधन से समायोजित कर ली जाय।

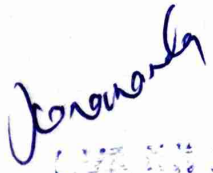
अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
17-11-25

अधीक्षण अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

  
17/11/2025

PARTNER

Manager